

307  
2075

UCMS 2025/672

SDO प्रपत्र-8

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

—: आदेश :—

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हरिराम प्रकाश मुखनि, नवलपारा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार गणेशदास नायब तहसीलदार, नवलपारा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम वागोरिया तहसील नवलपारा व जिला सुडूर की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में खाता संख्या 179, 270, 13 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>शीतल की मझी</u> <u>वागोरिया की मझी</u> <u>सुडूर</u>	<u>179</u> <u>270</u> <u>13</u>	<u>हरिराम प्रकाश</u>	<u>धीरसाद पत्र</u> <u>वागोरिया</u>

उपखण्ड अधिकारी  
पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहा. कलक्टर

क्रमांक :-

प्रतिलिपि :-

दिनांक :-

1. तहसीलदार ..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनाार्थ।
3. रक्षित पत्रावली ।

उपखण्ड अधिकारी  
पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर